

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—06/अ0 03-24/2004

पटना, दिनांक—

श्री ललित कुमार, राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8043/वि0 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3 (G) (i) में छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2026-2029 में दिनांक-16.10.2026 से 24.10.2026 तक की अवधि में सपरिवार अगाती, लक्षद्वीप भ्रमण करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/अ0 03-24/2004

3371

पटना, दिनांक—01/08/26

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/लेखा परीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री ललित कुमार, राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की जाती है कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से करायेंगे।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।